न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 10/2013

श्री सीतारामसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति रावत निवासी कानपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––––––वादी

ब ना म

1– श्री उगमसिंह पुत्र श्री पदमसिंह
2– श्री भूरसिंह पुत्र श्री पदमसिंह
3– श्री किशनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह
4– श्रीमति सोहनी पत्नि श्री पदमसिंह
समस्त जाति रावतान निवासीयान कानपुरा (दौलतपुरा द्वितीय) तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0
5– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक एंव लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय एंव उपपंजीयन अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर राज0

–––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय दिनांक 15.12.2017

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, ग्राम रामगढ पटवार क्षैत्र रामगढ द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामगढ में स्थित खसरा नंबर 278 रकबा 00–16–10, 279 रकबा 01–00–00, 280 रकबा 01–00–00, 281/1 रकबा 01–00–00, 282/1 रकबा 00–03–00, 287 रकबा 01–12–00, 290 रकबा 05–04–00, 273 रकबा 00–06–00 एंव खसरा नंबर 273/3729 रकबा 00–14–00, 277 रकबा 00–09–00, 281/3730 रकबा 00–01–00, 286/3731 रकबा 00–17–00, 289 रकबा 03–11–00, 282/2 रकबा 00–05–00 की उपरोक्त आराजियात को वादी के द्धारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 22.09.2100 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया और बरोज ख़रीद से वादी का आराजियात के मौके पर कब्जा काश्त एवं उपभोग उपयोग चला आ रहा है। वादी के द्धारा उक्त आराजियात क्रय करने के बाद नामान्तकरण अपने नाम राजस्व रेकार्ड में खुलवाने हेतू आवेदन करने पर वादी को आराजियात के रहनमुक्त नही होने के कारण वादी के पक्ष में विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही नही जा सकी। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात के आधार वादी की उक्त खरीदशुदा आराजियात को दीगर व्यक्तियो को रहन बेचान कर उसका कब्जा संभलाने पर आमादा है। इस प्रतिवादीगण दिनांक 25.01.2013 को मौके पर खरीददारो को दिखा रहे थे जिस बाबत वादी के द्धारा मना करने पर नही माने और वादी को बेदखल करने के लिये आमादा हुये इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित भूमियो को रहन, बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा किसी प्रकार का कोई बेचाननामा अथवा हस्तांतरण डीड निष्पादित आदि नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नही करने के कारण उनके जवाबदावा का हक बन्द किया गया।

प्रकरण मे साक्ष्य वादी में सीताराम ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का पेश किया। प्रकरण में बहस सुनी गई वादी ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन ग्राम रामगढ़ की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 28 व 27 में वर्णित भूमियां प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम जरिये रहन दर्ज होना पाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 22.09.2010 के अनुसार वादी सीतरामसिंह पुत्र मंगलसिंह को विवादित भूमियो को बेचान किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारीत कि जाती है, कि ग्राम रामगढ पटवार क्षैत्र रामगढ द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ में स्थित खसरा नंबर 278 रकबा 00–16–10, 279 रकबा 01–00–00, 280 रकबा 01–00–00, 281/1 रकबा 01–00–00, 282/1 रकबा 00–03–00, 287 रकबा 01–12–00, 290 रकबा 05–04–00, 273 रकबा 00–06–00 एंव खसरा नंबर 273/3729 रकबा 00–14–00, 277 रकबा 00–09–00, 281/3730 रकबा 00–01–00, 286/3731 रकबा 00–17–00, 289 रकबा 03–11–00, 282/2 रकबा 00–05–00 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 रहन, बेचान, हस्तांतरण आदि नही करे तथा वादी के चले आ रहे शांति पूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वंय तथा जरिये उनके रिश्तेदार, आदि कोई भी दखअंदाजी पैदा नही करे। प्रतिवादी संख्या 5 को पाबंद किया जाता है कि वे प्रतिवादीगण के चले आ रहे नाम के आधार पर किसी प्रकार का कोई नामान्तरकरण/विक्रय पत्र निष्पादन की कार्यवाही नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला ... मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 15:39:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: